न्यायालय सिविल जज,जू0डि0छाता मथुरा।
मूल वाद संख्या 217/2010
ताराचंद बनाम ओम प्रकाश

दिनांक 30.08.2018

पत्रावली पेश हुई । वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 49ग पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया ।

उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी द्वारा 46ग प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने के आधार पर पूर्व में भूलवश संशोधन न करने पर अब संशोधन करने की अनुमति चाही है।

पत्रावली परिशीलन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 09.8.2017 को संशोधन प्रार्थना पत्र 46क को स्वीकार किया गया है जबकि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 49ग में संशोधन प्रार्थना पत्र 46ग का उल्लेख किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र गलत रूप से दिया गया है जो निरस्त होने योग्य है।

आदेश

वादी का प्रार्थना पत्र 49क निरस्त किया जाता है। वास्ते सुनवाई/निस्तारण प्रार्थना पत्र 42 क पत्रावली दिनांक 12.9.2018 को पेश हो । उपरोक्त के सम्बंध में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

सिविल जज,जू0डि0,
छाता, मथुरा।